

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुण्डा, प्रतापगढ़।

दिनांक-09.12.23 (लोक अदालत)

प्रस्तुत चलानी आज लोक अदालत में पेश हुयी।
प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में बिना किसी भय दबाव के जुर्म स्वीकार किया गया
तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा किया गया।

ह०/-
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुण्डा, प्रतापगढ़।